फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमंडी जिला कोटा

उनवान देवलाल बनाम दी स्टेट ऑफ राजस्थान

मुकदमा 88-89-90-188 R.T. Act नम्बर 09/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीखें अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.5.16	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प खुल्दी पर पेश हुई। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया। श्रा० का० सं०। संक्षेप में प्रकरण निम्न प्रकार है, कि वादीगण का कथन है, कि उनके पिता को ग्राम खुल्दी के ख० नं. 696 की 3 $\frac{11}{3}$ व $9\frac{1}{2}$ की बार क्रमश: 12.6.81 व 20.6.81 को आवंटित की पत्ता जारी किया गया था तभी से वादीगण के पिता द्वारा उसे उपजाऊ बनवा कर काश्त की जा रही थी, तथा वादीगण के पिता की मृत्यु दि० 24.10.03 के बाद से वादीगण काबिज चले आ रहे है। वस्तुत: वादीगण का उक्त भूमि पर सन् 1980 से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 1313 है। पूर्व में वादीगण के पिता को उक्त भूमि पर अतिक्रमि मानते हुये, धारा 91 L.R. Act की कार्यवाही की गई थी, इस (P.T.O)	

पर तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 31.8.64 को वादीगण के पिता के पक्ष में निर्णय पारित कर तहसीलदार रामगंजमण्डी को यह आदेश किया गया था कि वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन श्मशान से परिवर्तित करवाई जाकर मामला नियमानुसार रेगूलाईज किया जावे। परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश को दरकिनार करते हुये वादीगण के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही जारी रखी। न्यायालय तहसीलदार के समक्ष वादीगण द्वारा उक्त पट्टे पेश किये तो उक्त दोनों पट्टों को मानने से इन्कार कर दिया गया।

इस प्रकार अन्य कथन कर वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री फरमाई जावे, कि, वाद वर्णित आराजियात पुराना खसरा नम्बर 976 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा व एक बीघा दो बिस्वा नया खसरा नम्बर 1313 ग्राम जुल्मी में दि० 14(8)81 व 20(8)81 को आवंटित गैर खातेदार कृषक पट्टा क्रमांक 585 व 564 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। तथा वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तित करते हुये राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन श्मशान से हटाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे आदि

वादीगण द्वारा अपने कथनों के

हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
	समर्थन में हस्ताक्षरित नकल आवेदन गैर खातेदारी पर्चा 585 दि॰ 17/8/81, 564 दि॰ 20/8/81 ख॰नं॰ 566 (रकबा 3॥)₃ व 9)₂ कुल 5), मूल्य प्रमाण पत्र जारी द्वारा ग्राम पं॰ जुल्मी रजिस्टर नं॰ 41 दि॰ 7.10.14, न्यायालय अति॰ जिला कलक्टर कोटा के प्रकरण सं॰ 29। निर्णय दि॰ 31.8.1964, नकल जमाबंदी सं॰ 2070-73 खाता नं॰ 01, पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में अंकित किया कि जमाबंदी के अनुसार ग्राम जुल्मी की भूमि ख॰ नं॰ 1313 रकबा 1.50 हेक्टर भूमि गैर मुमकिन श्मशान दर्ज है, तथा मौके पर भूमि श्मशान के कार्य में ली जा रही है। भूमि सिवाय चक दर्ज होने से नियमानुसार धारा 91 L.R. Act की कार्यवाही की जाती है। आदि पैरोकार सरकार तथा मजमें आम में उपस्थित व्यक्तियों को सुना गया। पैरोकार सरकार का कथन है, कि वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन श्मशान दर्ज है, ऐसी सूरत में चूंकि भूमि श्मशान के उपयोग में ली जा रही है। अतः दावा खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य उभयपक्ष स्वीकार करते हैं, कि वादग्रस्त भूमि की soil classification [मृदा वर्गीकरण] गैर मुमकिन श्मशान दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में भी हाल खसरा नम्बर 1313 की भूमि की [P.T.O]	

किस्म गैर मुमकिन श्मशान ही दर्ज है। प्रति०
का कथन है, कि उक्त भूमि का उपयोग श्म-
शान हेतु किया जा रहा है। अर्थात यह
तथ्य है, कि उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 की धारा 16(6) में यथा
वर्णित भूमि है। धारा 16 में वर्णित भूमि
पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।
जहाँ तक उक्त भूमि के सन् 1981 में
वादीगण के पिता को आवंटित होने का
प्रश्न है, तो आवंटन नियमों के नियम
4 (चार) में भी उक्त भूमि अपवर्जित
श्रेणी की है, जो आवंटित नहीं की
जा सकती।

इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्य
लम्बे कब्जे का आधार है, तो धारा 16
में वर्णित भूमि पर लम्बे कब्जे के आधार
पर खातेदारी स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते।
तथा न ही अतिचारी आवंटन या नियमन
का पात्र होता है। R.R.D 1986 पेज 238
शिवराज चेला बनाम मिसरू तथा R.R.D
1988 पेज 662 राजस्थान राज्य बनाम इशाक
मोहम्मद उनवानी प्रकरणों में यह अव-
धारित किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा
वादपत्र में अंकित कथन, वांछित
अनुतोषादि, पैरोकार सरकार के जवाब
आदि पर सम्यक चिंतन मनन के
उपरान्त हम यह पाते हैं, कि

हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादग्रस्त भूमि धारा 16 R.T. Act 1955 के तहत तथा आवंटन नियम 1970 के नियम 5 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, जिस पर खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार करने के उपरान्त वाद वादीगण अस्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 25-5-2016 को लोक अदालत कैम्प कुल्मी में सुनाया। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी [चिन्मयी गोपाल] I.A.S. प्रशिक्षु उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	